



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21353

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1858/2026

रामचंद्र रामयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दीपक कुमार पटेल, श्वेताक्षी सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है :-

"1) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को उनके समक्ष लंबित (अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी) अपील/वाद संख्या 223/326/22/1981-1982 (कंप्यूटर वाद संख्या C201614000000068 मुसई एवं अन्य बनाम सुखनंदन एवं अन्य, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 331(3) के तहत), इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।"

2. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि एस.डी.एम. चंदौली द्वारा वाद संख्या 316/16/40 (धारा 229-बी/202 उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के तहत) में याचिकाकर्ता के पिता जगन्नाथ एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 30.11.1981 को आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 331 के तहत प्रदान की गई वैधानिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08.12.1981 को आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी के न्यायालय में दायर की गई थी।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि बाद में उपरोक्त अपील को कंप्यूटर वाद संख्या C201614000000068/1981-82 के रूप में संख्यांकित किया गया।
4. आदेश-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अपील अभी भी विचाराधीन है। न्यायालय यह देखकर अत्यंत स्तब्ध और अचंभित है कि कार्यवाही पिछले 44 से अधिक वर्षों से विचाराधीन है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यर्थी संख्या 2-अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वे मामले में अगली नियत तिथि तक उपरोक्त अपील के निस्तारण में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथ-पत्र दाखिल करें, अन्यथा वे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
6. दिनांक 16.02.2026 को नए मामले के रूप में प्रस्तुत करें।
7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2-अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को आयुक्त वाराणसी मंडल, वाराणसी के माध्यम से दिनांक 04.02.2026 तक प्रेषित करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"